पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा–01/04–2019–219/ दिनांक–20.02.2021

स्मार–1

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,

संतोष मैन्शन, बी0 ब्लॉक, आर0पी0एस0 विधि महाविद्यालय के निकट,

रघुनाथ पथ, पटना – 801503

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

बिहार, पटना ।

सेवा में,

सम्पादक,

दैनिक भास्कर (पटना संस्करण),

बिहार, पटना ।

प्रसंगः– आयोग कार्यालय का पत्र संख्या–105 दिनांक–09.02.2021

विषयः– समाचार–पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक–18 जनवरी, 2021 के अंक में प्रकाशित समाचार ''संयोग या सेटिंग'' के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक दैनिक भास्कर में दिनांक 18.01.2021 को प्रकाशित समाचार ''संयोग या सेटिंग'' के सम्बन्ध में आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा ज्ञापांक–105 दिनांक–09.02.2021 से आपको एक पत्र लिखा गया था जिसमें आपसे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था । उक्त पत्र सर्वसाधारण की जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है ।

पत्र के आलोक में आपसे अपेक्षा की गयी थी कि आपके द्वारा प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में जो भी प्रमाण उपलब्ध हैं वो आयोग को उपलब्ध करायेंगे और यदि कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो आप उक्त समाचार का खंडन अपने समाचार–पत्र में करेंगे । इतने दिन बीतने के बाद भी आपके द्वारा आयोग से सम्पर्क कर अपना पक्ष रखने का प्रयास नहीं किया गया । ऐसी परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपसे दूरभाष पर वार्ता कर आपका पक्ष जानने की कोशिश की गयी । आपके द्वारा बताया गया कि आप न तो आयोग के पत्र का उत्तर देंगे और न हीं समाचार का खंडन अपने समाचार–पत्र दैनिक भास्कर में करेंगे ।

आपसे वार्ता के बाद यह बात स्पष्ट हुई कि आपने उक्त समाचार बिना किसी प्रमाण के प्रकाशित किया है । बहाली एक संवेदनशील मुद्दा है । बिना किसी प्रमाण या आधार के इस तरह के समाचार को झूठ एवं फर्जी समाचार की श्रेणी में माना जायेगा । ऐसा फर्जी समाचार प्रकाशित कर आपने आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न–चिन्ह् उठाने की कोशिश की है । ऐसे फर्जी एवं झूठे समाचार अपने समाचार–पत्र में प्रकाशित करने से स्वयं आपकी विश्वसनीयता प्रभावित होगी । एक राज्य स्तरीय समाचार–पत्र का उद्देश्य समाचार के माध्यम से सच्चाई को जनता के सामने लाना है परन्तु दुखद है कि आपने झूठा एवं फर्जी समाचार प्रकाशित कर पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन किया है ।

इसी प्रकार सोशल मीडिया एवं यूट्यूब पर छोटे–छोटे तथाकथित समाचार चैनल एक षड़यंत्र के तहत दारोगा बहाली में धांधली को लेकर लगातार समाचार बना रहे हैं जिसके लिए इनके

पास कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि ये धांधली की बात तो करते हैं लेकिन कोई प्रमाण नहीं दिखाते । इसी प्रकार एक स्वघोषित छात्र नेता साजिश के तहत दारोगा बहाली में धांधली की बात करते रहते हैं जिसके लिए भी उनके पास कोई प्रमाण नहीं है । इन सभी समाचार चैनलों एवं तथाकथित छात्र नेता को आयोग द्वारा दिनांक–08.03.2020 को नोटिस जारी की गयी थी जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है । इस नोटिस का किसी चैनल या छात्र नेता द्वारा आज तक कोई जबाब नहीं दिया गया ।

आयोग यहाँ स्पष्ट करना चाहता है कि जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल हुये हैं वे अपने मेरिट से सफल हुये हैं । जो अभ्यर्थी असफल हुये हैं वे मेरिट से बाहर हो गये हैं और अब उनकी इस बहाली प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं रह गयी है । बहाली में धांधली के आरोप झूठे एवं निराधार हैं । आयोग इसका पूर्णरूपेण खंडन करता है ।

इस पत्र को सर्व साधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है । इसके बाद भी यदि आयोग के समक्ष आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है ।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
बिहार, पटना ।

प्रतिलिपिः– 1. **अपर मुख्य सचिव,** गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
बिहार, पटना ।